


07/8
25

पञ्जावली वास्ते आडेर आज पेरा दुई।
बनील उमयपजीय हाजिर। मने पुनी
गयी बहस व विधिक आवधानों पर मनस
किया। पञ्जावली में उपलब्ध दस्तावेजों
सीमाज्ञान रिपोर्ट आडि का अवलोकन
किया। जिससे स्पष्ट है कि ज़ाही विभागाध्यक्ष
भूमि में रिकार्ड खातेदार है। अतः न्यायक्षेत्र
में ज़ाही का आवेदन अन्तर्गत धारा
111 पर अथ पत्थरगणी स्वीकार की जाती है।
विकृत निर्णय पृष्ठक से संकण करा
शाह मिसल वहीं पञ्जावली फंडल शुमार
होकर नम्बर से कम लोकर हाबिल खातु है।


उपसचिव अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला-सीकर

बइजलास मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-107/2021/आवेदन अं० धारा 111 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

भागचन्द पुत्र मुरलीराम, उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी सीतारामपुरा तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर।

- प्रार्थी

ब नाम

1. रिछपाल पुत्र रामदेव उम्र व्यस्क
2. गोपाल पुत्र रामदेव उम्र व्यस्क
3. प्रताप पुत्र बल्लूराम उम्र व्यस्क
4. रामेश्वर पुत्र बल्लूराम उम्र व्यस्क
5. श्रवणलाल पुत्र बल्लूराम उम्र व्यस्क
6. पटवारी, प०ह० खाटू, तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान भू-धारक राज्य सरकार।

समस्त जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर

- अप्रार्थी

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)


उपस्थिति-

1. श्री हरदेवारां सुण्डा, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील रामेश्वर प्रसाद बाज्या हाजिर आये।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय

दिनांक- 07.08.2025

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा न.- 3330 रकबा 0.3300 हैक्टर, खसरा न.- 3331 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा न. 3334 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा न.- 3335 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा न.- 3336 रकबा 0.9800 हैक्टर, खसरा न.- 3337 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा न.- 3339 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा न.- 3340 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा न.- 3342 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा न.- 3763/3329 रकबा 0.0480 हैक्टर, खसरा न.- 3764/3329 रकबा 2.0900 हैक्टर, खसरा न.- 3765/3332 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा न.- 3766/3332 रकबा 3.1100


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़